# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–123 / 2024

प्रार्थी:–

माफीदेवी पत्नी डूगराराम जाति मेघवाल निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा (राज.)

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती**

**उपस्थित :– श्री किशोरीलाल सोनी व आयुष सोनी**
**अधिवक्ता प्रार्थीनी**

## –:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.01.2026

प्रार्थीनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1151, 1152, 1153 व 1108 रकबा क्रमशः 8.0775, 10.0848, 2.8328 व 12.4724 हैक्टेयर भूमि ग्राम मानपुरा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1304, 1311, 1319, 1330, 1923 / 1753 व 1924 / 1753 रकबा क्रमशः 3.9012, 0.1700, 6.0621, 0.6070, 3.3508 व 3.3508 में हैक्टेयर ग्राम ईटवाया तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थीनी का नाम ''मोकी पत्नी डूंगरराम '' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीनी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''माफीदेवी पत्नी डूंगराराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थीनी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

प्रेषित की गई। प्रार्थीनी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत किये ।

**प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी ।**

प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''माफीदेवी पत्नी डूंगराराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1151, 1152, 1153 व 1108 रकबा क्रमशः 8.0775, 10.0848, 2.8328 व 12.4724 हैक्टेयर भूमि ग्राम मानपुरा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1304, 1311, 1319, 1330, 1923 / 1753 व 1924 / 1753 रकबा क्रमशः 3.9012, 0.1700, 6.0621, 0.6070, 3.3508 व 3.3508 में हैक्टेयर ग्राम ईटवाया तहसील सिवाना में प्रार्थीनी का नाम ''मोकी पत्नी डूंगरराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थीनी का नाम ''माफीदेवी पत्नी डूंगराराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीनी का नाम ''मोकी पत्नी डूंगरराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''माफीदेवी पत्नी डूंगराराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:09 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1151, 1152, 1153 व 1108 रकबा क्रमशः 8.0775, 10.0848, 2.8328 व 12.4724 हैक्टेयर भूमि ग्राम मानपुरा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1304, 1311, 1319, 1330, 1923 / 1753 व 1924 / 1753 रकबा क्रमशः 3.9012, 0.1700, 6.0621, 0.6070, 3.3508

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

व 3.3508 में हैक्टेयर ग्राम ईटवाया तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम " मोकी पत्नी डूंगरराम"के स्थान पर " माफीदेवी उर्फ मोकी पत्नी डूंगराराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:09 IST
Reason: SelfAttested